कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अरबी फारसी विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर हरदोई बाईपास, पोस्ट-डिगुरिया, लखनऊ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**047 / 14, 01.10.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री रवीन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता।**

उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लिमिटेड, अरबी फारसी विश्वविद्यालय परिसर, सीतापुर हरदोई बाईपास, पोस्ट-डिगुरिया, लखनऊ द्वारा दिनांक 01.10.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निम्नलिखित विवादित प्रश्न के विनिश्चय किये जाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है :-

'' एन्टी टरमाइट ट्रीटमेन्ट कार्य वर्क कान्ट्रैक्ट के अन्तर्गत आता है या नहीं और इस पर 4% वर्क कान्ट्रैक्ट टैक्स की देयता है या नहीं । ''

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री रवीन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तद्नुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय दिये जाने का अनुरोध किया गया है।

3. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) के अन्तर्गत दिये गये निम्न प्राविधान प्रार्थी के प्रकरण में लागू नहीं होते हैं :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, अथवा

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; अथवा

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; अथवा

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; अथवा

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त आधारों पर प्रार्थी द्वारा पूछे गये प्रश्न का आच्छादन इस धारा के अन्तर्गत नहीं होता है।

4. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र उार प्रदेश मूल्य

....2

संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के प्राविधानों के दृष्टिगत प्रार्थी के द्वारा वॉछित प्रश्न का उत्तर दिया जाना उक्त पॉच श्रेणी में से किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित न होने के कारण उार प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 की परिधि के बाहर प्रस्तुत किया गया प्रार्थना-पत्र ग्राह्य नहीं है।

अत: प्रार्थी द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2009 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है।

5 प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

6. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 24 नवम्बर, 2014 ह0 / 24.11.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।